न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 41 / 2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2020 / 00322

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
भरत सिंह पुत्र उम्मेदसिंह, जाति राजपूत, निवासी बलाना, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)		राजस्थान राज्य तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ काजी
रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 21-12-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध तहसीलदार सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 599 / 2020 बअनवान सरकार बनाम भरतसिंह में पारित आदेश दिनांक 9.11. 2020 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन एवं मातहत अदालत की पत्रावली तलब कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया कि पटवार हल्का बलाना ने ग्राम बलाना के खसरा संख्या 478 रकबा 01 हैक्टेयर जवाई नहर–।। की कृषिभूमी बाबत अतिक्रमण रिपोर्ट पेश करने पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के दिनांक 22.09.2020 को प्रकरण दर्ज कर पेशी दिनांक 29.10.2020 मुर्करर की गई तथा बाद में उसमें कांट छांट कर पेशी दिनांक 9.11.2020 अंकित कर उसी दिन अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए बिना सुनवाई का अवसर दिये उसकी अनुपस्थिति में बेदखली के आदेश के साथ–साथ 3 माह के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड का आदेश पारित कर दिया जो विधीविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को नोटिस दिनांक 29.10.2020 का जारी किया गया उस पर केवल हस्ताक्षर किए हुए है हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए उसकी तस्दीक न तो तामील कूनिन्दा द्वारा ओर न ही तहसीलदार द्वारा कि गई है। अतः जैर अपील आदेश विधिनुरूप नोटिस तामील नहीं होने से भी निरस्तनीय है। अपीलांट को 3 माह के सिविल कारावास जैसी कठोर सजा से दण्डित किया गया है जबकि उक्त दण्ड का आदेश केवल अतिक्रमी द्वारा पश्चातवृती अतिक्रमण करने पर ही पारित किया जाता है लेकिन मातहत अदालत की पत्रावली में पूर्व में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस कब दिया गया, अथवा भौतिक रूप से बेदखल करने का निर्णय कब पारित किया गया, तथा भौतिक रूप से बेदखल किन मौतबिरानों के समक्ष किया गया इस प्रकार के कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पत्रावली संलग्न नहीं है। तथा न ही जैर अपील आदेश में इसका उल्लेख है। केवल पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट में पश्चातवृती लिख देने को आधार मानकर प्रकरण दर्ज किया गया तथा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए उसकी अनुपस्थिति में बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है। मातहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित कर गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया तब पुलिस थाने का कांस्टेबल अपीलान्ट के घर वारण्ट लेकर आया तब अपीलान्ट को घर से दिनांक 14.12. 2020 को निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होते ही दिनांक 14.12.2020 को नकल हेतु तहसील कार्यालय में आवे[illegible] नकल प्राप्त की व अपील श्रीमान के समक्ष दिनांक 18.12.2020 को पेश [illegible] गई [illegible] अतः अपीलांट के विरूद्ध सिविल कारावास जैसे कठोर द[illegible] प्रक्रिया के पारित किया जाने से अपील अपीलाण्ट [illegible] फरमाई जाकर जैर [illegible] आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत पश्चातवृती अतिक्रमण की रिपोर्ट के आधार पर मातहत अदालत द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया व अपीलांट के नाम से नोटिस जारी किया गया जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:43:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

पीछे हस्ताक्षर किए हुए है जो पत्रावली संलग्न नोटिस की प्रति से स्पष्ट है। अपीलांट द्वारा जवाई नहरी–।। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी पर अतिक्रमण किया गया है जो जैर अपील प्रकरण में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जाकर कर जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाने के आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली संलग्न दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त अपील में विचारणीय बिन्दु 3 है :–

1. क्या नोटिस विधिवत रूप से तामील कराया गया तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया गया ?
2. क्या पश्चातवृती अतिक्रमण होने का सबूत रेकर्ड पर लिया गया ?

मातहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का बलाना की अतिक्रमण रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट 1956 के तहत दर्ज कर अपीलांट के नाम पेशी दिनांक 29.10.2020 का नोटिस जारी किया। परन्तु दिनांक 22.9.2020 की आदेशिका में कांटछांट कर तारीख पेशी दिनांक 9.11.2020 की गई। अपीलांट के नाम जारी नोटिस के पीछे हस्ताक्षर किए हुए है लेकिन हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए है उसकी तस्दीक तामील कूनिन्दा अथवा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नहीं की गई है। अतः नोटिस को विधिवत रूप से तामील कराया जाना स्पष्ट नहीं होने से जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

मातहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का बलाना की पश्चातवृती अतिक्रमण की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के दर्ज किया गया। लेकिन पूर्व में अपीलार्थी द्वारा कब अतिक्रमण किया गया, उसके विरूद्ध कब प्रकरण दर्ज कर बेदखली का आदेश पारित किया गया, तथा उस आदेश की पालना में किन मौतबिरानों की उपस्थिति में आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया गया उसकी रिपोर्ट संलग्न नहीं है। पटवारी हल्का बलाना के बयान नहीं लिए गए। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो मातहत अदालत की पत्रावली संलग्न है तथा न ही जैर अपील आदेश में इसका कहीं उल्लेख किया गया है। अतः केवल पटवारी हल्का की पश्चातवृति अतिक्रमण की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड का जैर अपील आदेश पारित कर दिया उसे यथावत रखा जाना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं मातहत अदालत तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जैर अपील प्रकरण 599/2020 बअनवान सरकार बनाम भरतसिंह में पारित निर्णय दिनांक 9.11.2020 को अपास्त किया जाता है, तथा इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त आराजी में यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया हो, तो सुनवाई का विधि अनुरूप मौका देते हुए, तथा यदि पश्चातवृति अतिक्रमण है, तो पूर्व में किए गए निर्णय का हवाला देते हुए व भौतिक रूप से बेदखली की रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुए विधिवत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 21-12-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:43:52 IST
Reason: SelfAttested